

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-03
संख्या-1/220678/XIII-3/24/01(17)/2003 TC
देहरादून: दिनांक: 27 जून, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा के पत्र संख्या-127/स्था0दो0-1-6(44वीं) प्रब0का0वै0/2024-25, दिनांक 30 मई, 2024 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या--454/XVI-2/16/01(17)/2003, दिनांक 18 अप्रैल, 2016 द्वारा गठित उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के प्रबन्ध परिपद में महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान, उत्तराखण्ड को सदस्य नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**Signed by Vinod Kumar
Suman**

Date: 27-06-2024 09:54:42

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव-मा0 कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण द्वारा- निदेशक, चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
4. अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
7. महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार सुमन)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उद्यान एवं रेशम अनुभाग-2
संख्या-1031 /XVI-2/17/01(17)/2003
देहरादून: दिनांक 04 नवम्बर, 2017
दिसम्बर

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-454 /XVI-2 / 16 / 01(17) / 2003, दिनांक 18 अप्रैल, 2016 द्वारा पुर्नगठित उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोडा की प्रबन्ध परिषद में आंशिक संशोधन करते हुए क्रमांक 1 पर अंकित अध्यक्ष के पद पर नामित अपर मुख्य सचिव, उद्यान के स्थान पर कृषि उत्पादन आयुक्त (APC) को अध्यक्ष नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 अप्रैल, 2016 द्वारा पुर्नगठित उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के प्रबन्ध परिषद के क्रमांक-1 को इस सीमा तक संशोधित रामझा जाय तथा शेष यथावत् रहेगा।

(डी० रोन्थिल पाण्डेयन)
सचिव

संख्या-1031 (1)/XVI-2/17/01(17)/2003, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष एवं सगरस्त सदस्यगण द्वारा- निदेशक, चाय विकास बोर्ड, अल्मोडा।
- 2- आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 3- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निजी सचिव, मा. उद्यान मंत्री जी को मा. मंत्री जी के अवगतार्थ।
- 5- सगरस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल विकास निगम, नैनीताल/देहरादून।
- 8- निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोडा।
- 9- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसारण, चौबटिया, राणीखेत।
- 10- निदेशक, कोषागार, देहरादून।
- 11- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा।
- 12- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
- 13- वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 14- अध्यक्ष, भारतीय चाय बोर्ड, 14 एम.वी.टी., सरानी मार्ग, कोलकाता।
- 15- सहायक निदेशक, भारतीय चाय बोर्ड, होलीडे होम, अल्मोडा।
- 16- सामान्य प्रबन्धक, चाय, उत्तराखण्ड चाय विकास परियोजना, नैनीताल।
- 17- मार्ट फाइल।

आज्ञा से,

(डा. मेहरबान सिंह विष्ट)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
उद्यान एवं रेशम अनुभाग-2
संख्या-454/XVI-2/16/01(17)/2003
देहरादून: दिनांक 18 अप्रैल, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-392/XVI-2/15/01(17)/2003 दिनांक-09 अप्रैल 2015 द्वारा चाय विकास बोर्ड की प्रबन्ध परिषद के पुनर्गठन किया गया एवं तत्पश्चात उक्त कार्यालय ज्ञाप में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या-535/XVI-2/15/01(17)/2003 दिनांक-18 मई 2015 द्वारा उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की प्रबन्ध परिषद में गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूँ मण्डल हेतु एक-एक उपाध्यक्ष के पद का सृजन करते हुए उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की प्रबन्ध परिषद का गठन किया गया।

2- अतः कार्यालय ज्ञाप संख्या-392/XVI-2/15/01(17)/2003 दिनांक-09 अप्रैल 2015 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-535/XVI-2/15/01(17)/2003 दिनांक-18 मई 2015 द्वारा गठित चाय विकास बोर्ड की प्रबन्ध परिषद विषयक आदेशों को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उक्त परिषद का पुनर्गठन निम्नवत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	पदाधिकारी/सदस्य का नाम/ पदनाम	पद
1.	अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2.	सचिव/अपर सचिव, उद्यान उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3.	सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर सचिव के स्तर से निम्न न हों	सदस्य
4.	सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर सचिव के स्तर से निम्न न हो	सदस्य
5.	भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6.	निदेशक, चाय शोध गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, उधमसिंहनगर	सदस्य
7.	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मिशन उत्तराखण्ड	सदस्य
8.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, उत्तराखण्ड	सदस्य सचिव
10	चाय के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव/ज्ञान युक्त दो व्यक्ति जो श्री राज्यपाल द्वारा नामित किये जाएं- गैर सरकारी	सदस्य - 2

3- उपरिलिखित कार्यालय ज्ञाप संख्या-392/XVI-2/15/01(17)/2003 दिनांक-09 अप्रैल 2015 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-535/XVI-2/15/01(17)/2003 दिनांक-18 मई 2015 उक्तवत प्रतिस्थापित सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा शेष सभी शर्त/दिशा-निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

क्रमांक-2

संख्या: 454 / XVI-2 / 16 / 01(17) / 2003, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण द्वारा निदेशक चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल।
5. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव/अपर सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल विकास निगम, नैनीताल/देहरादून।
10. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड चौबटिया-रानीखेत।
11. निदेशक, चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
12. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
13. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
14. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
15. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
16. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
17. अध्यक्ष, भारतीय चाय बोर्ड, 14 एम0बी0टी0, सरानी मार्ग, कोलकाता।
18. सहायक निदेशक, भारतीय चाय बोर्ड, होलीडे होम, अल्मोड़ा।
19. समान्य प्रबन्धक, चाय उत्तराखण्ड चाय विकास परियोजना, नैनीताल।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(टीकम सिंह पंतार)

अपर सचिव।